

विषय-वस्तु

पैरा सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य	4
ख	वर्गीकरण	4
ग	पिछले समेकित दिशानिर्देश	4
घ	प्रयोज्यता का दायरा	4
1.	प्रस्तावना	7
2.	सहायक कंपनियां	7
3.	सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेश सीमा	7
4.	सहायक कंपनियों के साथ संबंध	10
5	इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक	11
6.	उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद कारोबार और आढत सेवाएं	13
7.	प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार	15
8	कंपनी शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी	18
9	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की हामीदारी	20
10	पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड) व्यवसाय	20
11.	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां (एमएमएमएफ)	21
12.	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) के निवेशकों को "चेक लिखने" की सुविधा	22
13.	बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश	23
14.	स्मार्ट/डेबिट कार्ड कारोबार	23
15.	बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम)	24
16.	सिफारिशी सेवाएं	25
17.	करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों की सदस्यता	25
18.	'सेफ्टी नेट' योजनाएं	26
19.	शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण	27
अनुबंध-1 वित्तीय सेवा कंपनी		28
अनुबंध-2 भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण और महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा		30
अनुबंध -3 बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश		33
अनुबंध - 4 बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश - बीमा एजेंसी व्यवसाय/परामर्शी व्यवस्था		36
अनुबंध-5 बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश		37

अनुबंध-6 स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने और परिचालित करने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	42
अनुबंध - 7 - पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश	44
परिशिष्ट- मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	47

मास्टर परिपत्र - परा-बैंकिंग कार्यकलाप

क. उद्देश्य

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अनुसार कुछ वित्तीय सेवाएं अथवा परा-बैंकिंग (बैंकिंग से इतर) कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए नियमों/विनियमों/ अनुदेशों का एक ढांचा प्रदान करना। प्रारंभ की गई वित्तीय सेवाएं अथवा परा-बैंकिंग कार्यकलाप भली-भाँति और विवेकपूर्ण रूप से करना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए तथा निम्नलिखित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करना चाहिए।

ख. वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया सांविधिक दिशानिर्देश।

ग . पिछले समेकित दिशानिर्देश

इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित किया गया है।

घ. प्रयोज्यता का दायरा

ये दिशानिर्देश उन सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होते हैं जो विभागीय कार्यकलापों के रूप में अथवा अपनी सहायक कंपनियों अथवा उनके द्वारा नियंत्रित संबद्ध कंपनियों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं अथवा परा-बैंकिंग कार्यकलाप करते हैं।

ढांचा

1. प्रस्तावना
2. सहायक कंपनियां
3. सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेश सीमा
4. सहायक कंपनियों के साथ संबंध
5. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक
6. उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद कारोबार और आदत सेवाएं
7. प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार
 - 7.1 पात्रता मानदंड
 - 7.2 प्राथमिक व्यापार हेतु आवेदन
 - 7.3 प्राधिकरण
 - 7.4 बैंक-प्राथमिक व्यापारी के दायित्व
 - 7.5 विवेकपूर्ण मानदंड
 - 7.6 विनियमन तथा पर्यवेक्षण

7.7 प्राथमिक व्यापारियों के लिए जारी दिशानिर्देशों की बैंक-प्राथमिक
व्यापारियों के प्रति प्रयोज्यता

7.8 बही खातों व लेखों का रखरखाव

8. कंपनी शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी
9. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की हामीदारी
10. पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड) व्यवसाय
11. मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां
12. मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों के निवेशकों को "चेक लिखने" की सुविधा
(एम एम एम एफ)
13. बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश
14. स्मार्ट/डेबिट कार्ड व्यवसाय
15. बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम)
16. सिफारिशी सेवाएं
17. करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों की सदस्यता
18. 'सेफ्टी नेट' योजनाएं
19. शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

अनुबंध-1 वित्तीय सेवा कंपनी

अनुबंध-2 भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सहायक
कंपनी, सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण
और महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा

अनुबंध -3 बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश

अनुबंध - 4 बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश - बीमा एजेंसी
व्यवसाय/परामर्शी व्यवस्था

अनुबंध-5 बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने के लिए
दिशानिर्देश

अनुबंध-6 स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने और परिचालित
करने के लिए रिपोर्टिंग फार्मट

अनुबंध - 7 - पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले बैंकों
के लिए दिशानिर्देश

परिशिष्ट- मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

बैंक कुछ पात्र वित्तीय सेवाएँ विभागीय कार्यकलाप के रूप में या सहायक संस्थाएँ स्थापित करके प्रारंभ कर सकते हैं। वे ऐसा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से उचित अनुमोदन प्राप्त करके सहायक संस्थाएँ स्थापित कर सकते हैं जो अन्यथा अनुमेय होता। इस मास्टर परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों को संकलित किया गया है ताकि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत कुछ वित्तीय सेवाएँ अथवा परा-बैंकिंग (बैंकिंग से इतर) संबंधी कार्यकलाप प्रारंभ कर सकें।

2. सहायक कंपनियाँ

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(1) के उपबंधों के अंतर्गत बैंक निम्नलिखित प्रयोजनों से सहायक कंपनियाँ स्थापित कर सकते हैं – (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6, उपधारा 1, खंड (ए) से (ओ) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय बैंकिंग कारोबार करने के लिए, (ii) केवल भारत के बाहर बैंकिंग कारोबार करने के लिए और (iii) ऐसे अन्य कारोबारी प्रयोजनों के लिए जिसे केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रिज़र्व बैंक भारत में बैंकिंग के प्रसार के लिए अथवा जनहित में उपयोगी या आवश्यक समझता है। सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक है।

3. सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेश सीमा

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अंतर्गत कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में गिरवीदार या बंधकग्राही के रूप में या संपूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत या अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी व आरक्षित निधियों का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक राशि के शेयर धारित नहीं कर सकती है। तथापि, सहायक कंपनियों के विपरीत उन कंपनियों के कार्यकलापों पर कोई सांविधिक प्रतिबंध नहीं है जिनमें बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत यथानिर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर इक्विटी धारित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये कंपनियाँ वित्तीय सेवाएँ कंपनियाँ तथा ऐसी कंपनियाँ भी हो सकती हैं जो वित्तीय सेवाओं से नहीं जुड़ी हैं।

3.1 सहायक कंपनियों तथा वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमावली

- क) किसी सहायक कंपनी अथवा वित्तीय संस्था, शेयर तथा अन्य बाजारों, निक्षेपागारों आदि सहित किसी वित्तीय सेवा कंपनी जो सहायक कंपनी न हो, में किसी बैंक का निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत तथा सभी सहायक कंपनियों एवं सभी गैर-सहायक वित्तीय सेवा कंपनियों में किया गया कुल निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- ख) तथापि, बैंक शेयर बाजारों, डिपॉजिटरीज इत्यादि सहित किसी भी वित्तीय सेवा उद्यम में रिजर्व बैंक के स्पष्ट पूर्वानुमोदन के बिना ईक्विटी शेयरों में सहभागी नहीं बन सकता, भले ही, इस प्रकार के निवेश बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर हों।
- ग) तथापि, यदि वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत धारित हैं तथा उन्हें 90 दिन से अधिक समय के लिए धारित किया गया है जो न तो 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू होती है और न ही भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है ।

3.2 गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण विनियमावली

चूंकि गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है इसलिए बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अंतर्गत इन कंपनियों में संभावित रूप से काफी ईक्विटी धारण कर सकते हैं । अतः यह संभव है कि अन्य कंपनियों में अपनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष धारिताओं के माध्यम से बैंक ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण रख रहे हों और काफी हद तक उन्हें प्रभावित कर रहे हों और इस प्रकार ऐसे कार्यकलापों में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हों जिनके लिए बैंकों को अनुमति नहीं दी गयी है । यह स्थिति अधिनियम के उपबंधों के आशय के विपरीत होगी और विवेकपूर्ण दृष्टि से उचित नहीं मानी जाएगी। अतः गैर वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश को सीमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं :

- क) गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों के साथ जुड़ी कंपनियों में किसी बैंक का ईक्विटी निवेश निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत या बैंक की चुकता शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत, इनमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए । इस सीमा के प्रयोजन से 'व्यापार के लिए धारित' के अंतर्गत धारित ईक्विटी निवेशों को भी हिसाब में लिया जाएगा । उपर्युक्त सीमाओं के भीतर किए गए निवेशों के लिए रिजर्व बैंक

का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं होगा भले ही वे निवेश 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में हो या न हों ।

- ख) किसी गैर-वित्तीय सेवा कंपनी में (क) किसी बैंक; (ख) ऐसी कंपनियां जो बैंक की सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां या संयुक्त उपक्रम या बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियाँ हों; तथा (ग) बैंक द्वारा नियंत्रित आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) द्वारा प्रबंधित म्युचुअल फंडों द्वारा किया गया निवेश कुल मिलाकर निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- ग) ऐसी निवेशिती कंपनी में उसकी चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 30 प्रतिशत से कम निवेश करने के लिए किसी बैंक के अनुरोध पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तभी विचार किया जाएगा यदि उक्त निवेशिती कंपनी ऐसे गैर-वित्तीय कार्य कलापों से जुड़ी हो जिनके लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गई है ।
- घ) किसी बैंक का सहायक कंपनियों तथा वित्तीय सेवा कार्यकलापों से जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ-साथ गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों से जुड़ी कंपनियों में कुल ईक्विटी निवेश उक्त बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों जिन्हें 90 दिन से अधिक के लिए नहीं धारित किया गया है, पर 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी ।
- ङ) किसी गैर-वित्तीय सेवा निवेशिती कंपनी में उसकी चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारिता की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार 30 प्रतिशत की सांविधिक सीमा के अधीन) के बिना की जा सकती है यदि अतिरिक्त धारिता पुनर्चना/कार्पोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (सीडीआर) के माध्यम से अथवा किसी कंपनी में बैंक द्वारा अपने ऋण/किए गए निवेशों पर ब्याज को बचाने के लिए अर्जित किया गया हो । ऐसे मामलों में निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी निवेश को उपर्युक्त 20 प्रतिशत सीमा से छूट प्राप्त होगी । तथापि, बैंकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे शेयरों के निपटान के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी ।

3.3 उपर्युक्त दिशानिर्देशों के प्रयोजन से वित्तीय सेवा कंपनी का अर्थ **अनुबंध 1** में दिये गये ब्यौरे के अनुसार होगा। साथ ही, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यम जैसे शब्दों का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा पद्धति मानकों द्वारा निर्धारित किया गया है (**अनुबंध 2** के रूप में उद्धरण संलग्न)।

4. सहायक कंपनियों के साथ संबंध

यह जरूरी है कि प्रयोजक बैंक व्यवसाय -मानदंडों के बारे में सहायक कंपनी/पारस्परिक निधि से उचित दूरी बनाएं रखें। ये मानदंड इस प्रकार हैं - निधियाँ उधार लेने/उधार देने में अनुचित लाभ उठाना, बाजार दर से भिन्न दरों पर प्रतिभूतियां अंतरित करना/बेचना/खरीदना, प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए विशिष्ट प्रतिफल देना, सहायक कंपनियों को समर्थन/वित्त पोषण में विशेष रुचि दिखाना, सहायक संस्थाओं के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना वह भी ऐसे समय जब बैंक ऐसा करने में समर्थ नहीं है या ऐसा करने की अनुमति उसे नहीं है, इत्यादि। तथापि, प्रायोजक बैंक द्वारा किये जाने वाले पर्यवेक्षण से सहायक संस्था/पारस्परिक निधि के दैनिक कामकाज में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए। बैंकों को उपयुक्त नीति बनानी चाहिए जैसे:

i) मूल/प्रायोजक बैंक का निदेशक बोर्ड सहायक कंपनियों/पारस्परिक निधि की कार्यपद्धति की सामयिक अंतराल पर (छः महीने में एक बार) समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षा से इन संस्थाओं की कार्यपद्धति के संबंधित प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा और जरूरी समझे जाने पर सुधार के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत/सुझाव देगा।

ii) मूल बैंक सहायक कंपनियों/पारस्परिक निधियों की बहियों और लेखों का उचित सामयिक अंतराल पर निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करवाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ध्यान में लाई गई कमियों को बिना विलंब के ठीक किया जाता है। यदि किसी बैंक का अपना स्टाफ निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करने के लिए पर्याप्त साधन संपन्न नहीं है तो यह कार्य सनदी लेखाकारों के फर्म जैसी बाहरी एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। यदि निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करवाने में कोई तकनीकी कठिनाई है (जैसे सहायक कंपनी अथवा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के अंतर्नियमों तथा बहिर्नियमों में अधिकार प्रदान करने वाला खंड का न होना) तो ऐसे अंतर्नियमों व बहिर्नियमों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

iii) वित्तीय सेवाएं प्रस्तावित करनेवाली कंपनियों में यदि संविभागीय निवेश के रूप में बैंकों की इक्विटी सहभागिता है तो वे ऐसी कंपनियों के कार्य की कम-से-कम वार्षिक आधार पर समीक्षा कर सकते हैं।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी जाने वाली दीर्घकालिक निधियों के प्रवाह में तेजी लाने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को आईडीएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी है। आईडीएफ की स्थापना म्यूचुअल फंड (एमएफ) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में की जा सकती है। जहां आईडीएफ-एमएफ का विनियमन सेबी (सेबी ने एमएफ विनियमावली में अध्याय VI - आ जोड़कर आईडीएफ-एमएफ के लिए विनियामक ढांचा प्रस्तुत करने के लिए एमएफ विनियमावली में संशोधन किया है) द्वारा किया जाएगा वहीं आईडीएफ एनबीएफसी का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक करेगा। बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से आईडीएफ-एमएफ तथा आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रायोजक के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुमति होगी :

i) आईडीएफ-एमएफ का प्रायोजक

बैंक आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य कर सकते हैं बशर्ते वे इस संबंध में सेबी के विनियमों का पालन करें।

ii) आईडीएफ-एनबीएफसी का प्रायोजक

आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रायोजक के रूप में कार्यरत बैंक की आईडीएफ-एनबीएफसी में न्यूनतम 30 प्रतिशत और अधिकतम 49 प्रतिशत ईक्विटी की हिस्सेदारी होगी। चूंकि बैंककारी विनियमन, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई बैंक तब तक किसी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकता जब तक वह कोई अनुषंगी संस्था न हो इसलिए गुण-दोष के आधार पर रिज़र्व बैंक आईडीएफ-एनबीएफसी की ईक्विटी में 30 प्रतिशत से अधिक तथा 49 प्रतिशत तक निवेश करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 (2) के उपबंधों से छूट देने के लिए (अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत) सरकार से सिफारिश करेगा।

iii) म्यूचुअल फंड (एमएफ) तथा एनबीएफसी दोनों संरचनाओं के अंतर्गत आईडीएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तें

(क) किसी एक आईडीएफ-एमएफ तथा एनबीएफसी की ईक्विटी में किसी बैंक का निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) अनुषंगी कंपनियों, वित्तीय सेवा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, शेयर तथा अन्य बाजारों में कुल मिलाकर किसी बैंक का निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियों के 20

प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इस सीमा के अंतर्गत प्रायोजक के रूप में आईडीएफ में बैंक का निवेश भी शामिल है ।

(ग) प्रायोजक के रूप में चुकता पूंजी में अंशदान के रूप में आईडीएफ- (एमएफ तथा एनबीएफसी) में बैंक का एक्सपोजर उसके पूंजी बाजार एक्सपोजर का भाग होगा और उसे इस संबंध में निर्दिष्ट विनियामक सीमाओं के भीतर होना चाहिए ।

(घ) बैंकों के पास अपने संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर के लिए अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित स्पष्ट नीतियां तथा सीमाएं होनी चाहिए जिसमें आईडीएफ - (एमएफ तथा एनबीएफसी) के प्रायोजक के रूप में उनका अपना एक्सपोजर भी शामिल होना चाहिए ।

(ङ)आईडीएफ-(एमएफ तथा एनबीएफसी) को निवेश आंमत्रित करते समय अपनी परिचय-पुस्तिका/ऑफर दस्तावेज में यह सूचना प्रकट करनी चाहिए कि बैंक की देयता प्रायोजित करने की अनुमति चुकता पूंजी में उसके अंशदान तक ही सीमित है ।

6.उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद कारोबार और आढत सेवाएं

6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से बैंक उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढत सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सहायक कंपनियाँ स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार स्थापित की गई सहायक कंपनियाँ मुख्यतः इस प्रकार के कार्यकलापों में तथा उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढत सेवाओं से संबद्ध अन्य प्रासंगिक कार्यकलापों में कार्यरत होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इन सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष उधार देने का कार्य तथा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित न हो। इन सहायक कंपनियों को उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढत सेवाओं से संबद्ध अन्य कंपनियों या प्रतिष्ठानों का वित्तपोषण नहीं करना चाहिए।

6.2 बैंक उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद और आढत सेवाएं आंतरिक रूप में भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये सेवाएं आंतरिक रूप से प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि, बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे कार्यकलापों के साथ-साथ उन शाखाओं के नामों की सूचना दे जहाँ इन कार्यकलापों की शुरुआत की गई है। इन कार्यकलापों को आंतरिक रूप से प्रारंभ करते समय बैंकों को निम्नलिखित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए :

क) चूँकि उपकरण पट्टेदारी और आढत सेवाएं, किराया खरीद जैसे कार्यकलापों के लिए विशेष कुशलता प्राप्त कर्मचारी और पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं आवश्यक होती हैं इसलिए ऐसे कार्यकलाप बैंकों की कुछ चुनी हुई शाखाओं द्वारा ही प्रारंभ किये जाने चाहिए।

ख) इन कार्यकलापों को ऋण और अग्रिमों के समकक्ष माना जाएगा और तदनुसार, पूंजी परिसंपत्ति जोखिम-अनुपात का परिकलन करते समय उन्हें 100 प्रतिशत जोखिम-भारांकन दिया जायेगा। इसके साथ ही आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देश उन पर लागू होंगे।

ग) एक उधारकर्ता (बैंक की पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत; 20 प्रतिशत बशर्ते अतिरिक्त ऋण सुविधा आधारभूत संरचना परियोजनाओं को प्रदत्त ऋण का विस्तारित भाग हों) और ऋणकर्ता समूह (बैंक की पूंजी निधि 40 प्रतिशत; 50 प्रतिशत बशर्ते यह अतिरिक्त ऋण आधारभूत संरचना परियोजनाओं - को प्रदत्त ऋण का विस्तारित भाग हों) के संबंध में उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त और आढत सेवाओं के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं अधिकतम ऋण सीमाओं के अंतर्गत शामिल होंगी। अपवादात्मक परिस्थितियों में, बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से एक उधारकर्ता तथा उधारकर्ता समूह दोनों का पूंजीगत निधि का 5 प्रतिशत और अधिक ऋण देने पर विचार कर सकता है लेकिन इस शर्त पर कि उधारकर्ता, बैंकों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में समुचित प्रकटीकरण करने की सहमति देता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में बैंक के एक्सपोजर के संबंध में [12 दिसंबर 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं एफएसडी.बीसी. 46/24.01.028/2006-07](#) के पैरा 16(ए)(i) में निहित अनुदेश लागू होंगे।

घ) बैंक कुल ऋण के साथ उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद और आढत सेवाओं के ऋण संविभाग का संतुलन बनाएं रखें। इनमें से किसी भी कार्यकलाप में उनका निवेश कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ङ) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से पट्टेदारी व्यवसाय के संबंध में उपयुक्त नीति बनाएं और परिसंपत्ति - देयता की संभावित विसंगति को टालने के लिए सुरक्षा मानदंड बनाएं। जहां बैंक ऐसी नीति के अनुरूप पट्टेदारी वित्त की अवधि निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं वहां उन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा निर्धारित लेखा मानक 19 (एस 19) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

च) पट्टे पर दी गयी परिसंपत्ति अनुप्रयोज्य होने से पूर्व उपचय आधार पर आय खाते में जमा वित्त आय (काउन्सिल ऑफ दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी 'पट्टे पर एस 19' के अंतर्गत यथापरिभाषित) के वित्त प्रभार घटक की प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए अथवा चालू लेखा अवधि में उसके लिए प्रावधान किया जाए बशर्ते उसका भुगतान न किया गया हो।

छ) परिसंपत्ति वर्गीकरण, आयनिर्धारण और ऋण /अग्रिमों तथा अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रावधान से संबंधित किए गए परिवर्तन आंतरिक रूप से पट्टेदारी के कार्यकलाप प्रारंभ करने वाले बैंकों की पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर भी लागू होंगे।

ज) उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनियों तथा ऐसा ही कार्य करने वाली अन्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के साथ बैंकों को पट्टेदारी करार नहीं करना चाहिए।

झ) पट्टेदारी का व्यवसाय करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को किसी परिसंपत्ति को शिकमी पट्टेदारी पर देने से प्राप्त होने वाले किराये की राशि ऐसी कंपनी के लिए बैंक वित्त की गणना में शामिल नहीं की जायेगी।

ट) जो बैंक आंतरिक रूप से आढत सेवाएं प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें खरीदे गये इनवायसेस को ध्यान में लेते हुए ग्राहक की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताएं सावधानी से तय करनी चाहिए। आढत सेवाएं केवल उन्हीं इनवायसेसों के संबंध में दी जानी चाहिए जो असली व्यापार संबंधी लेन देन का द्योतक हों। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतें कि आढत सेवाएं प्रदत्त करने से ग्राहकों को आवश्यकता से अधिक वित्त नहीं मिल रहा है।

7. प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार

बैंकों को प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार में शामिल करने के उद्देश्य से इस कारोबार अनुमत ढांचे का विस्तार किया गया है। पात्रता के निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों की पूर्ति करनेवाले बैंक प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

7.1 पात्रता मानदंड

निम्नलिखित श्रेणियों के बैंक पीडी लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं:

(i) ऐसे बैंक जिनकी वर्तमान में अंशतः अथवा पूर्णतः स्वामित्व वाली कोई सहायक संस्था नहीं है और जो निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करते हैं;

क. 1000 करोड़ रुपयों की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां हैं

ख. 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर है

ग. निवल अनर्जक आस्तियां 3 प्रतिशत से कम और पिछले तीन वर्ष का लाभ कमाने का रिकार्ड है

(ii) ऐसे भारतीय बैंक जो अंशतः अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली किसी सहायक संस्था के जरिए प्राथमिक व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो अपनी अंशतः अथवा पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था से

विलयन करके/उनसे प्राथमिक व्यापार लेकर विभागीय स्तर पर प्राथमिक व्यापार करने का प्रस्ताव करते हैं उन्हें उपर्युक्त 7.1.(i)(क) से (ग) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

(iii) भारत में कार्य करनेवाले विदेशी बैंक जो समूह कंपनियों द्वारा लिये जानेवाले प्राथमिक व्यापार का विलयन करके विभागीय स्तर पर प्राथमिक व्यापार करने का प्रस्ताव करते हैं उन्हें उपर्युक्त 7.1.(i)(क) से (ग) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

7.2 प्राथमिक व्यापार हेतु आवेदन

आवेदन करने के लिए पात्र बैंकों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन हेतु बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों को विभागीय तौर पर पीडी व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण हेतु आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, को आवेदन करना होगा।

7.3 प्राधिकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर किया गया प्राधिकरण एक वर्ष (जुलाई-जून) के लिए होगा और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकरण की वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगा।

7.4 बैंक-प्राथमिक व्यापारियों के दायित्व

बैंक-प्राथमिक व्यापारी हामीदारी तथा एकल प्राथमिक व्यापारियों पर यथालागू अन्य सभी दायित्वों के अधीन होंगे।

7.5 विवेकपूर्ण मानदंड

(i) प्राथमिक व्यापार के लिए अलग से कोई पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा निर्धारित नहीं की गई है। किसी बैंक के लिए लागू पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा उसके प्राथमिक व्यापार कारोबार के लिए भी लागू होगी। प्राथमिक व्यापार कार्यकलाप प्रारंभ करने वाले बैंक को पीडी कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की गणना तथा उनके लिए प्रावधान करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी होगी।

(ii) प्राथमिक व्यापारी कारोबार के अंतर्गत सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की एसएलआर के लिए गणना की जाएगी।

(iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' संविभाग के संबंध में बैंकों पर लागू निवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन तथा परिचालन दिशानिर्देश प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए निश्चित की गयी सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों के संविभाग पर भी लागू होंगे।

(iv) बैंकों को अपनी सहयोगी संस्थाओं के लिए अलग एसजीएल खाते रखने होंगे। इस संबंध में बैंकों को उचित प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

7.6 विनियमन और पर्यवेक्षण

(i) प्राथमिक व्यापारियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश बैंक - प्राथमिक व्यापारियों पर यथाप्रयोज्य लागू होंगे।

(ii) चूंकि बैंकों को मांग मुद्रा बाज़ार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सुलभ है इसलिए बैंक प्राथमिक व्यापारी को ये सुविधा अलग से प्राप्य नहीं है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक -प्राथमिक व्यापारी कारोबार का ऑन साइट निरीक्षण करेगा।

(iv) बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को निर्धारित विवरणी समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किये अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।

(v) बैंक-प्राथमिक व्यापारी को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध किसी भी बड़ी शिकायत को अथवा स्टाक एक्सचेंज, सेबी, सीबीआई, एनफोर्समेंट डाइरेक्टोरेट, आयकर आदि जैसे प्राधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध शुरू की गयी/की गयी कार्रवाई को भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाए।

(vi) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में संबंधित बैंक ने किसी भी निर्धारित पात्रता और कार्य निष्पादन मानदंड की पूर्ति न की हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक-प्राथमिक व्यापारी का प्राधिकरण निरस्त करने का अधिकार होगा।

7.7 प्राथमिक व्यापारियों के लिए जारी दिशानिर्देशों की बैंक-प्राथमिक व्यापारियों के प्रति प्रयोज्यता

(i) बैंक-प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) तथा निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और डेरिवेटिव्स संघ (एफआईएमएमडीए) में शामिल हों तथा उनके द्वारा निर्धारित आचरण संहिता तथा प्रतिभूति बाज़ार के हित में उनके द्वारा प्रारंभ की गई ऐसी अन्य कार्रवाइयों का पालन करें।

(ii) निवल मांग (नेट कॉल)/भारिबैं उधार तथा निवल स्वाधिकृत निधियों के आधार पर दैनंदिन आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में न्यूनतम निवेश सुनिश्चित करने की अपेक्षा बैंक-प्राथमिक व्यापारियों पर लागू नहीं होगी।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि 3 मई 2006 के परिपत्र आइडीएमडी. सं/3426/11.01.01 (डी)/2005-06 द्वारा अनुमत "जब जारी व्यापार" के प्रयोजन के लिए बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारी समझा जाएगा।

(iv) मांग/सूचना पर देय/मीयादी मुद्रा बाज़ार, अंतर-कंपनी जमाराशियों, एफसीएनआर (बी) ऋण/बाहरी वाणिज्यिक उधार तथा निधियों के अन्य स्रोतों से उधार लेने के मामले में बैंक-प्राथमिक व्यापारी बैंकों पर लागू विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

(v) बैंक की निवेश नीति में प्राथमिक व्यापारी कार्यकलापों को भी शामिल करने के लिए समुचित संशोधन किए जाएं। निवेश नीति के समग्र ढांचे के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन, हामीदारी तथा बाज़ार निर्माण तक सीमित रहेगा। कॉर्पोरेट/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड, वाणिज्य पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों/ऋण म्युच्युअल फंडों तथा अन्य नियत आय प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को प्राथमिक व्यापार व्यवसाय का भाग नहीं समझा जाएगा।

7.8 बही खातों व लेखे का रख-रखाव

(i) बैंक द्वारा विभागीय तौर पर किए गए प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय से संबंधित लेनदेन बैंक के विद्यमान अनुषंगी सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाते के माध्यम से निष्पादित होंगे। तथापि, ऐसे बैंकों को प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय (सामान्य बैंकिंग व्यवसाय से भिन्न) से संबंधित लेनदेन के लिए लेखा-परीक्षा योग्य अभिलेखों सहित अलग खाता बहियां रखनी होंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय के लिए निर्धारित 100 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों का न्यूनतम शेष हमेशा रखा जाता है।

(ii) बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारी विभाग द्वारा किए गए लेनदेन की समवर्ती लेखापरीक्षा करनी चाहिए। लेखा-परीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाए कि प्राथमिक व्यापारी बही में सरकारी प्रतिभूतियों का 100 करोड़ रुपयों का न्यूनतम निर्धारित शेष निरंतर आधार पर रखा गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों /अनुदेशों का पालन किया गया है।

8. कंपनी शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी

सामान्यतः शेयरों और डिबेंचरों के निर्गमों की हामीदारी के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हामीदारी प्रतिबद्धताओं के प्रति अत्यधिक एक्सपोजर नहीं हो, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए:

i) गिरवीदार/बंधकग्राही या एकमात्र स्वामी के रूप में किसी भी कंपनी में शेयरधारिता के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) और (3) में निहित सांविधिक अनुबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए;

ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में उनके द्वारा की गई हामीदारी की बाध्यताएं, सभी पूंजी बाजारों में बैंक के एक्सपोजर के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के अनुरूप हैं। तथापि 16 अप्रैल 2008 से एकल और समेकित आधार, दोनों के लिए पूंजी बाजार एक्सपोजर की गणना करने के प्रयोजन के लिए बैंक अपनी खुद की तथा अपनी सहायक कंपनियों की हामीदारी की प्रतिबद्धताओं को बुक रनिंग प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। इससे संबंधित स्थिति की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी। ऐसे एक्सपोजर लेते समय बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

क) एक्सपोजर संबंधी मानदंड पर मास्टर परिपत्र में दिए गए अनुसार, एकल तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर सीमाओं का निर्धारण करने के प्रयोजन से किसी भी कंपनी के प्रति हामीदारी एक्सपोजर की गणना करनी होगी।

ख) बैंक प्रत्येक हामीदारी निर्गम के लिए शिकमी हामीदारी पर विचार कर सकते हैं ताकि उनके स्वयं के खाते में अंतरण की संभावनाओं को कम किया जा सके। यह अनिवार्य नहीं है। शिकमी हामीदारी की आवश्यकता और उसकी सीमा बैंक के विवेकाधिकार का विषय है।

ग) हामीदारी का दायित्व पूरा करते समय बैंकों को चाहिए कि वे प्रस्तावों का सावधानी से मूल्यांकन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्गमों को जनता का पर्याप्त समर्थन मिलेगा और इस प्रकार के शेयरों/डिबेंचरों का हामीदार बैंकों पर अंतरित होने की संभावना को न्यूनतम किया जा सकेगा।

घ) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संविभाग विकेंद्रित हो और किसी भी कंपनी के या कंपनियों के समूह के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी के लिए अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा भाग नहीं लिया जाता। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्य हामीदारों की जानकारी प्राप्त करें और दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता के बारे में छान-बीन करें।

iii) बैंक किसी भी कंपनी या प्राथमिक व्यापारी द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र की हामीदारी न करें।

iv) बैंकों को कंपनी इकाइयों द्वारा जारी किये गये अल्पावधि अस्थाई दर वाले नोट /बांड अथवा डिबेंचर के संबंध में आवर्ती हामीदारी की सुविधा नहीं देनी चाहिए।

v) वर्ष के दौरान हामीदारी संबंधी कार्यकलापों की वार्षिक समीक्षा राजकोषीय वर्ष समाप्त होने के दो महीने के भीतर निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस समीक्षा में ये विषय शामिल होंगे: हामीदारियों के कंपनी-वार ब्योरे, बैंकों को अंतरित शेयरों/डिबेंचरों का ब्योरा, अंतरित शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री से हुई हानि या (प्रत्याशित हानि) जिसमें अंकित मूल्य और बाजार मूल्य और अर्जित कमीशन इत्यादि का ब्योरा होना चाहिए।

vi) बैंकों और बैंकों की मर्चेट बैंकिंग सहायक संस्थाएं, जो हामीदारी का कार्य करती हैं, द्वारा सेबी (अंडर राइटर्स) रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स, 1993 में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों और समय-समय पर जारी किये गये नियमों / विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

9. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की हामीदारी

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किये गये बांडों की आंशिक हामीदारी करके बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे सभी संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए हामीदारी के प्रस्तावों की उचित संवीक्षा करें और उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से सशक्त वाणिज्यिक आधार पर ऐसी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की हामीदारी और उनमें निवेश के संबंध में बैंक अपने आंतरिक दिशानिर्देश और मानदंड तैयार करें और अपने-अपने निदेशक बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से किसी एक उपक्रम में अत्यधिक निवेश को टाला जाता है।

बैंकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों से संबंधित हामीदारी परिचालनों की समीक्षा वाषिष्क आधार पर करनी चाहिए। इस समीक्षा में इस प्रकार के परिचालनों के सरकारी उपक्रमवार ब्योरे, बैंकों पर अंतरित बांड, बांडों के अंकित और बाजार मूल्य को दर्शाते हुए अंतरित बांडों की बिक्री से होने वाली हानि (अथवा प्रत्याशित हानि), अर्जित कमीशन, इत्यादि शामिल होंगे। यह समीक्षा राजकोषीय वर्ष समाप्त होने के दो महीने के भीतर संबंधित बैंक द्वारा अपने-अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10. पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड) व्यवसाय

(i) पारस्परिक निधि संबंधी व्यवसाय करने से पहले बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। बैंकों द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों को सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

(ii) बैंक द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों को अपने नाम के एक भाग के रूप में प्रायोजक बैंक के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रायोजक बैंक का नाम पारस्परिक निधि के साथ जोड़ा जाता है तो नई योजनाओं का प्रचार करते समय इस आशय का उपयुक्त दावा अधित्याग खंड जोड़ा जाना चाहिए कि इन योजनाओं के परिचालनों के परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है या कमी आती है तो उसके लिए प्रायोजक बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

(iii) बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारस्परिक निधि के मार्केटिंग के लिए पारस्परिक निधियों के साथ करार कर सकते हैं:

क) बैंकों को एमएफ यूनिटों की खरीद/बिक्री के लिए निवेशकों से प्राप्त आवेदनों को म्युच्युअल फंडों/रजिस्ट्रारों/ट्रान्सफर एजेंटों को प्रेषित करते हुए केवल ग्राहकों के एजेंटों के रूप में कार्य करना चाहिए। यूनिटों की खरीद ग्राहक की जोखिम पर होनी चाहिए तथा किसी भी सुनिश्चित प्रतिफल की बैंक की गारंटी के बिना होनी चाहिए।

ख) बैंकों को पारस्परिक निधियों के यूनिट गौण बाजार से अर्जित नहीं करने चाहिए।

ग) बैंकों को अपने ग्राहकों से पारस्परिक निधियों के यूनिटों की पुनर्खरीद नहीं करनी चाहिए।

घ) यदि कोई बैंक पारस्परिक निधियों की यूनिटों की जमानत पर लोगों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी सुविधा की मंजूरी शेयरों/डिबेंचरों तथा म्युच्युअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिमों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार होनी चाहिए।

ङ) अपने ग्राहकों की ओर से पारस्परिक निधि के यूनिटों को अभिरक्षा में रखनेवाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अपने निवेश और अपने ग्राहकों द्वारा किये गये/के निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाए।

च) बैंकों ने इस संबंध में पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसके अलावा, बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारस्परिक निधियों के यूनिटों की खुदरा बिक्री बैंक की विशिष्ट चयनित शाखाओं तक सीमित हो।

11. मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां

मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां सेबी के विनियमों के दायरे में आते हैं। अतः इस अतिरिक्त कार्यकलाप को प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण हेतु सेबी से संपर्क करने से पहले मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां स्थापित करने के इच्छुक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

12. मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) के निवेशकों को "चेक लिखने" की सुविधा

बैंक निम्नलिखित सुरक्षा मानदंडों के अधीन मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों और पारस्परिक निधियों के साथ गठजोड़ करके निवेशकों को चेक लिखने की सुविधा दे सकते हैं। इस प्रकार का गठजोड़ सरकारी निधियों और चलनिधि आय योजनाओं के संबंध में किया जा सकता है। ये निधियां मुख्यतः मुद्रा बाजार लिखतों में (कुल राशि का कम-से-कम 80 प्रतिशत) निवेश करती हैं।

(क) बैंक द्वारा स्थापित मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि के मामले में गठजोड़ व्यवस्था प्रायोजक बैंक के साथ होनी चाहिए। अन्य मामलों में गठजोड़ नामित बैंक के साथ होना चाहिए। योजना के प्रस्ताव-दस्तावेज में बैंक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

(ख) प्रस्ताव-दस्तावेज में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "चेक लिखने की सुविधा" के प्रभाव के लिए किया जाने वाला गठजोड़ केवल मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि /पारस्परिक निधि और नामित बैंक के बीच एक वाणिज्यिक व्यवस्था है और इसलिए मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि की इकाइयों को सुविधाएं प्रदान करना किसी भी स्थिति में संबंधित बैंक का प्रत्यक्ष दायित्व नहीं होगा। अतः सभी सार्वजनिक घोषणाओं में तथा व्यक्तिगत निवेशकों के साथ किये जाने वाले पत्राचार में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

(ग) मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि के किसी एक निवेशक को उसके विकल्प पर नामित बैंक की शाखाओं में से किसी एक शाखा में यह सुविधा प्रदान की जा सकती है।

(घ) यह आहरण खाते के रूप में होना चाहिए। यह किसी अन्य खाते से बिलकुल भिन्न होना चाहिए और आहरण, आहरित किये जानेवाले चेकों की संख्या आदि के संबंध में मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि द्वारा यथानिर्धारित किये अनुसार स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। नियमित बैंक खाते के रूप में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए और इस खाते पर आहरित चेक स्वयं निवेशक के पक्ष में होने चाहिए (विमोचन के रूप में)। ये चेक तीसरे पक्ष के नाम पर नहीं होने चाहिए। खाते में राशियाँ जमा नहीं की जा सकती। इस सुविधा के अंतर्गत निवेशक द्वारा किया गया प्रत्येक आहरण मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए और इस सीमा तक मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि में इन निधियों का विमोचन माना जाना चाहिए।

(ड) निवेशक इस सुविधा का लाभ मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि में किये गये निवेश के लिए कम-से-कम 15 दिन की निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद उठा सकते हैं। (यह पात्र सरकारी निधियों पर तथा पारस्परिक निधियों की चलनिधि आय योजनाओं पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि निर्धारित करने संबंधी मामले सेबी विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे)।

(च) बैंकों को हर समय मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि द्वारा आहरण खाते का पूर्व निधियन सुनिश्चित करना चाहिए और निधि की स्थिति की समीक्षा दैनिक आधार पर की जानी चाहिए।

(छ) ऐसे ही अन्य उपाय जिन्हें बैंक आवश्यक समझे।

13. बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश

भारत सरकार ने दिनांक 3 अगस्त 2000 को यह निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी कि ‘बीमा’ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1)(ओ) के अंतर्गत प्रारंभ किया जा सकने वाला एक अनुमेय व्यवसाय है। इस अधिसूचना के जारी होते ही बैंकों को यह सूचित किया गया था कि जो बैंक बीमा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें अनुबंध-3 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इसलिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में ये ब्योरे होने चाहिए - उक्त दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों के संबंध में संपूर्ण विवरण, संयुक्त उद्यम /अनुकूल निवेश में प्रस्तावित ईक्विटी अंशदान के ब्योरे, बीमा व्यवसाय में जिस कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की गठजोड़ व्यवस्था होगी उसका नाम आदि। निदेशक बोर्ड का संबंधित नोट और उस पर पारित संकल्प जिसके द्वारा बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था और इस संबंध में तैयार की गई अर्थक्षमता रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करनी चाहिए। तथापि, बैंकों को विभागीय कार्यकलाप के रूप में बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा बैंकों को कुछ शर्तों (अनुबंध-4) के अधीन जोखिम-सहभागिता के बिना बीमा एजेंसी व्यवसाय प्रारंभ करने अथवा किसी प्रकार की परामर्शी व्यवस्था करने के लिए भारतीय बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक नहीं है।

14. स्मार्ट / डेबिट कार्ड कारोबार

14.1 बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से ही स्मार्ट/ऑन लाइन कार्ड आरम्भ कर सकते हैं। स्मार्ट/ऑन लाइन कार्ड आरम्भ करते समय उन्हें अनुबंध-5 में निहित दिशानिर्देश ध्यान में रखने होंगे। डेबिट कार्डों के मामलों में जहाँ प्राधिकार और भुगतान ऑफ-लाइन है अथवा जहाँ प्राधिकार या भुगतान ऑफ लाइन है, वहाँ प्राधिकार और भुगतान के स्वरूप लागू की गई प्रमाणीकरण पद्धति, प्रयुक्त

प्रौद्योगिकी, अन्य एजेंसियों/सर्विस प्रोवाइडर (यदि कोई हो) के साथ गठजोड़ के ब्योरों के साथ बोर्ड का नोट/संकल्प प्रस्तुत करने के बाद ये कार्ड प्रारंभ करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। फिर भी वे ही बैंक ऑफ-लाइन-डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं जिनका निवल परिसंपत्ति मूल्य 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक है। बैंक गैर-बैंक संस्थाओं के साथ गठजोड़ करके स्मार्ट/डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। बैंकों को चाहिए कि वे स्मार्ट/डेबिट कार्डों के परिचालन की समीक्षा करे और हर छमाही के अंतराल में - अर्थात् हर वर्ष मार्च और सितंबर में अपने-अपने निदेशक बोर्डों को समीक्षा नोट प्रस्तुत करें। बैंक द्वारा जारी किये गये स्मार्ट/डेबिट कार्ड के परिचालनों की रिपोर्ट भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग को भेजें और उसकी प्रति बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को छमाही आधार पर हर वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में प्रेषित करें। इस रिपोर्ट में **अनुबंध-6** में अपेक्षित जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

डेबिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिए बिना बैंकों द्वारा प्रोत्साहन प्रस्तावित करने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते ऐसी प्रोत्साहन योजनाओं में लॉटरी अथवा संयोग का तत्व शामिल नहीं हो।

14.2 पूर्वदत्त कार्डों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा जारी 27 अप्रैल 2009 के परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 1873/02.14.06/2008-09 में निहित अनुदेशों तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

15. बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम)

भारत सरकार की 24 मई 2007 की अधिसूचना एफ.सं.13/6/2005-बीओए के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ओ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी विधिक रूप से "पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने" का व्यवसाय कर सकती है। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उक्त प्रयोजन से स्थापित सहायक कंपनियों के माध्यम से पेंशन निधि प्रबंधन कर सकते हैं। यह उनके द्वारा पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूर्ण करने के अधीन होगा। पीएफएम विभागीय तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। **अनुबंध-7** में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन निधि प्रबंधन का कार्य प्रारंभ करने का उद्देश्य रखने वाले बैंकों को ऐसे व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सहायक कंपनी में किए जानेवाले प्रस्तावित ईक्विटी अंशदान के ब्यौरों सहित **अनुबंध-7** में निर्धारित किए गए अनुसार पात्रता के विभिन्न मानदंडों से संबंधित

पूर्ण जानकारी दी गई हो। इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत अर्थक्षमता रिपोर्ट सहित इस संबंध में बोर्ड को प्रस्तुत नोट तथा उस पर पारित संकल्प जिसके जरिए बैंक के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है भी रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाए।

16. सिफारिशी सेवाएं

बैंकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों के लिए सिफारिशी सेवाएं प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है:

- (क) बैंक/वित्तीय उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता को चाहिए कि जिन ग्राहकों को उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता के पास भेजा जा रहा है। उनके मामले में वे केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
- (ख) संबंधित बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वित्तीय उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता के साथ व्यवहार करने में बैंक को जिस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है उस प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम का पूरा ध्यान रखा गया हो।
- (ग) बैंक को चाहिए कि वह संबंधित ग्राहक को पूरी तरह स्पष्ट करे कि यह पूर्णतः परामर्श सेवा है और पूर्णतः जोखिमैतर सहभागिता आधार पर है।
- (घ) अन्य पक्षीय जारीकर्ता को लागू संबद्ध विनियामक दिशानिर्देशों का उन्हें पालन करना चाहिए।
- (ङ) सिफारिशी सेवाएं प्रस्तावित करते समय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

17. करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों की सदस्यता

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (ए डी संवर्ग 1) को यह अनुमति दी गई है कि वे सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में स्थापित किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव घटक के ट्रेडिंग/किलयरिंग सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षा पूरी करें :

- (क) न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए
- (ख) न्यूनतम सी आर ए आर 10 प्रतिशत
- (ग) निवल एनपीए 3% से अधिक नहीं
- (घ) पिछले तीन वर्षों से निवल लाभ

जो बैंक उपर्युक्त शर्तें पूरी करते हैं उन्हें इस गतिविधि के संचालन और जोखिम प्रबंध के लिए बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए | यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक की स्थिति ग्राहकों की स्थिति से अलग रखी जाती है | यदि बैंक के

कार्यकलाप के संबंध में पर्यवेक्षीय असंतोष हो तो रिज़र्व बैंक इस कारोबार के संबंध में बैंक पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है ।

जो बैंक उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं उन्हें केवल ग्राहक के रूप में करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है ।

18. 'सेफ्टी नेट' योजनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पाया है कि कुछ बैंक/उनकी सहयोगी संस्थाएं अपने मर्चेड बैंकिंग के कार्यकलापों के एक भाग के रूप में कुछ सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित 'सेफ्टी नेट' योजना के नाम से वापसी खरीद (बाय बैक) सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत मूल निवेशक से संबंधित प्रतिभूतियाँ खरीदने की प्रतिबद्धता के रूप में बड़े निवेश प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार के शेयर नियत अवधि के दौरान किसी भी समय निर्गम के समय निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किए जाते हैं, मूल्य निर्धारित करते समय प्रचलित बाज़ार मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ मामलों में जिन कंपनियों के निर्गमों का इन योजनाओं के अंतर्गत समर्थन किया गया था, उनसे किसी प्रकार के औपचारिक अनुरोध के बिना ही ऐसी योजनाएं बैंकों ने अपने आप प्रस्तावित की थीं। स्पष्टतः ऐसे मामलों में निर्गमकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियाँ खरीदने संबंधी कोई वचन नहीं दिया गया था। इन योजनाओं में निहित हानि की जोखिम के अनुरूप कोई आय नहीं थी, क्योंकि जब प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य से कम होता है तो केवल तब ही निवेशक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधाओं का आश्रय लेगा। इसलिए बैंक/उनकी सहायक संस्थाओं को सूचित किया गया है कि इस प्रकार की 'सेफ्टी नेट' सुविधाएं प्रस्तावित न करें, चाहे जिस नाम से भी उन्हें संबोधित किया जाये।

19. शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

इस परिपत्र के पैरा 10 के अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे कुछ शर्तों के अधीन म्यूचुअल फंड यूनिटों के विपणन के लिए म्यूचुअल फंडों के साथ करार कर सकते हैं। साथ ही, इस परिपत्र के पैराग्राफ 13 के अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया है कि उन्हें उक्त मास्टर परिपत्र के अनुबंध 4 में निर्धारित शर्तों के अधीन बिना जोखिम सहभागिता वाले बीमा एजेंसी व्यवसाय अथवा संदर्भ व्यवस्था में संलग्न होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। बैंकों को इस परिपत्र के पैराग्राफ 16 द्वारा यह भी अनुमति दी गयी है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन वित्तीय उत्पादों के लिए अपने ग्राहकों को गैर-जोखिम सहभागिता के आधार पर विशुद्ध संदर्भ सेवाएं

प्रस्तावित कर सकते हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक अपने ग्राहकों को गैर विवेकाधीन निवेश परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिनके लिए प्रत्येक मामले के आधार पर हमारे द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

साथ ही, कुछ मामलों में बैंकों को अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन विवेकाधीन संविभाग प्रबंध सेवाएं प्रदान करने की अनुमति भी दी गयी है। ऊपर संदर्भित सभी गतिविधियों में यह संभावित है कि बैंक विभिन्न म्यूचुअल फंडों/बीमा/वित्तीय कंपनियों के कई प्रतिस्पर्धी उत्पादों की अपने ग्राहकों को बिक्री/संदर्भ सेवाएं प्रदान करें। जिन ग्राहकों को उत्पाद बेचे या संदर्भित किये जा रहे हैं उनके हित में पारदर्शिता की आवश्यकता को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने ग्राहकों को ऐसे कमीशन/अन्य शुल्क (किसी भी रूप में प्राप्त) के ब्योरे बताएं जो उन्हें विभिन्न म्यूचुअल फंडों/बीमा/अन्य वित्तीय कंपनियों से उनके उत्पादों के विपणन/संदर्भ के लिए प्राप्त होते हैं। यह प्रकटीकरण ऐसे मामलों में भी अपेक्षित है जहाँ बैंक केवल एक म्यूचुअल फंड/बीमा कंपनी आदि के उत्पादों का विपणन/वितरण कर रहे हैं/संदर्भ सेवाएं दे रहे हैं। बैंकों के वित्तीय विवरणों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर परिपत्र जारी करके बैंकों से यह अपेक्षा की है कि वे अपने तुलन-पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत प्रकटीकरण करें। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक और कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से 'लेखे पर टिप्पणियां' में उनके द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के ब्योरों का प्रकटीकरण करें।

वित्तीय सेवा कंपनियां

सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में निवेश पर विवेकपूर्व दिशानिदेशों के प्रयोजन के लिए 'वित्तीय सेवा कंपनियां' का तात्पर्य 'वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय' से जुड़ी कंपनियों से है। 'वित्तीय सेवाओं का व्यवसाय' का तात्पर्य है -

- i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ग), (घ), (ड.) के तहत यथावर्णित तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के तहत अधिसूचित प्रकार के कारोबार;
- ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 की धारा 45 के खंड (ग) तथा खंड (च) के तहत यथावर्णित प्रकार के कारोबार;
- iii) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत यथावर्णित ऋण सूचना का कारोबार;
- iv) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत यथापरिभाषित किसी भुगतान प्रणाली का प्रचालन;
- v) शेयर बाजार, पण्य बाजार, डेरिवेटिव बाजार या इसी प्रकार के अन्य बाजार का परिचालन ;
- vi) निक्षेपागर अधिनियम, 1996 के तहत यथावर्णित निक्षेपागर का परिचालन;
- vii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यथावर्णित प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण का कारोबार;
- viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत यथावर्णित मर्चेट बैंकर, संविभाग प्रबंधक, शेयर दलाल, उप-दलाल, शेयर अंतरण एजेंट, न्यास का न्यासी विलेख, किसी इश्यू का पंजीयक, मर्चेट बैंकर, हामीदार, डिबेंचर न्यासी, निवेश परामर्शदाता तथा इसी प्रकार के अन्य मध्यस्थ का कारोबार ;
- ix) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण निर्धारक एजेंसी) विनियमावली 1999 के तहत यथापरिभाषित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कारोबार;

- x) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार सामूहिक निवेश योजना का कारोबार ;
- xi) पेंशन निधि प्रबंध का कारोबार ;
- xii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था का कारोबार ;
- xiii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य कारोबार ।

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सहायक, सहयोगी, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण और महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा

लेखांकन मानक 18, 21, 23 और 27 उपर्युक्त शब्दों को परिभाषित करते हैं।

सहायक वह उद्यम है जो किसी अन्य उद्यम (जिसे मूल या प्रवर्तक उद्यम कहा जाता है) द्वारा नियंत्रित हो।

सहयोगी वह उद्यम है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव हो और जो न तो निवेशक का सहायक हो या संयुक्त उद्यम हो।

संयुक्त उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार कोई आर्थिक गतिविधि आरंभ करते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन हो।

महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और/अथवा परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करने लेकिन उनकी नीतियों को नियंत्रित नहीं करने की शक्ति है।

नियंत्रण -

- किसी उद्यम के आधे से अधिक मताधिकार पर प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से स्वामित्व रखना; अथवा
- किसी कंपनी के मामले में निदेशक बोर्ड के गठन पर नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम के मामले में तदनुरूप नियंत्रक निकाय के गठन पर नियंत्रण ताकि उसकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

नियंत्रण तब माना जाता है जब मूल या प्रवर्तक उद्यम, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से किसी उद्यम के मताधिकार के आधे से अधिक अंश पर स्वामित्व रखता है।

नियंत्रण तब भी माना जाता है जब कोई उद्यम निदेशक बोर्ड (किसी कंपनी के मामले में) अथवा तदनुरूप नियंत्रक निकाय (यदि उद्यम कंपनी नहीं हो) के गठन को नियंत्रित करता है, ताकि उसकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के गठन पर किसी उद्यम का नियंत्रण तब माना जाता है जब उस उद्यम के पास किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की सहमति लिये बिना कंपनी के सभी या बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति हो। किसी उद्यम के पास कोई निदेशक नियुक्त करने की शक्ति तब मानी जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं :

- कोई व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उक्त उद्यम उसके पक्ष में उपर्युक्त शक्ति का प्रयोग न करे;
- उक्त उद्यम में किसी पद पर नियुक्ति के साथ ही अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त हो जाता है; अथवा
- निदेशक उस उद्यम द्वारा नामित होता है; यदि वह उद्यम कंपनी हो तो निदेशक उस कंपनी/सहायक कंपनी द्वारा नामित हो ।

एएस 23 के प्रयोजन से महत्वपूर्ण प्रभाव के अंतर्गत किसी उद्यम की वित्तीय और/अथवा परिचालन नीतियों को नियंत्रित करना शामिल नहीं है । महत्वपूर्ण प्रभाव शेयर के स्वामित्व, संविधि या करार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक निवेशिती के मताधिकार का 20% या उससे अधिक अंश प्रत्यक्षतः या सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से अप्रत्यक्षतः धारित करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है - केवल उस स्थिति में नहीं, जब यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके कि ऐसी बात नहीं है । ठीक इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक किसी निवेशिती में मताधिकार का 20% से कम अंश प्रत्यक्षतः अथवा सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से अप्रत्यक्षतः धारित करता है तो यह माना जाता है कि निवेशक के पास महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है - केवल उस स्थिति में नहीं जब ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप में दर्शाया जा सके । किसी अन्य निवेशक का महत्वपूर्ण या प्रमुख स्वामित्व हो तो इससे निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव बाधित हो जाए यह आवश्यक नहीं है । किसी निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित एक या अधिक तरीकों से प्रमाणित होता है :

- निवेशिती के निदेशक बोर्ड या तदनु रूप नियंत्रक निकाय में प्रतिनिधित्व;
- नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता;
- निवेशक या निवेशिती के बीच में महत्वपूर्ण लेनदेन;
- प्रबंधकीय कार्मिकों का आदान-प्रदान; और
- आवश्यक तकनीकी सूचना की व्यवस्था ।

बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश

1. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में शुल्क आधार पर बिना किसी जोखिम-सहभागिता के बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति होगी। बैंकों के सहयोगी संस्थाओं को भी एजेंसी आधार पर बीमा उत्पाद के वितरण प्रारंभ करने की अनुमति है।

2. जो बैंक निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें सुरक्षा मानदंडों के अधीन बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जोखिम सहभागिता के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने की अनुमति दी जाएगी। संयुक्त उद्यम कंपनी में इस प्रकार बैंक की अधिकतम ईक्विटी सामान्यतः बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक चयनात्मक आधार पर प्रारंभ में प्रायोजक बैंक को उच्चतर ईक्विटी योगदान के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है जो निश्चित अवधि के भीतर ईक्विटी के विनिवेश पर निर्भर होगा। (निम्नलिखित टिप्पणी - 1 देखें)।

संयुक्त उद्यम सहभागी के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड नीचे दिये गये हैं:

- (i) बैंक का निवल कारोबार 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए;
- (ii) बैंक का सी आर ए आर 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए;
- (iii) अनर्जक परिसंपत्तियों का स्तर उचित होना चाहिए;
- (iv) बैंक पिछले लगातार तीन वर्षों के लिए निवल लाभ की स्थिति में होना चाहिए;
- (v) संबंधित बैंक की सहयोगी संस्थाएँ, यदि कोई हो, तो उनके कार्यनिष्पादन का ट्रैक रेकार्ड संतोषजनक होना चाहिए।

3. जिन मामलों में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकारी/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से विदेशी सहभागी ईक्विटी शेयरों का 26 प्रतिशत योगदान देता है तो सरकारी क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के एक से अधिक बैंकों को संयुक्त बीमा उद्यम की ईक्विटी पूंजी में सहभागी होने की अनुमति दी जा सकती है। चूंकि ये सहभागी बीमा जोखिम भी उठाएंगे इसलिए केवल उन्हीं बैंकों को अनुमति होगी जो उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

4. किसी बैंक की सहयोगी संस्था या अन्य बैंक की सहयोगी संस्था को सामान्यतः बीमा कंपनी के साथ जोखिम सहभागिता के आधार पर जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहयोगी संस्थाओं में मर्चेन्ट बैंकिंग, प्रतिभूतियों, पारस्परिक निधियों, पट्टेदारी वित्त, आवास वित्त इत्यादि व्यवसाय करने वाली सहयोगी बैंक संस्थाएं शामिल होंगी।

5. जो बैंक संयुक्त उद्यम सहभागी के रूप निवेश में पात्र नहीं हैं वे बैंक आधारभूत संरचना और सेवाओं की सहायता के लिए बीमा कंपनी में अपने नेटवर्थ के 10 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक का निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार की सहभागिता को निवेश माना जाएगा और उसमें बैंकके लिए कोई आकस्मिक दायित्व नहीं होना चाहिए।

इन बैंकों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे:

- (i) बैंक का सी आर ए आर 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
- (ii) अनर्जक परिसंपत्तियों का स्तर उचित होना चाहिए।
- (iii) बैंक पिछले लगातार तीन वर्षों में निवल लाभ की स्थिति में होना चाहिए।

6. बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने वाले सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति देगा। अनुमति देते समय वह आवेदक बैंक के अनर्जक परिसंपत्तियों के स्तर सहित सभी संबंधित तत्वों को ध्यान में रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनर्जक परिसंपत्तियां बैंक के वर्तमान या प्रस्तावित कार्यकलाप अर्थात् बीमा व्यवसाय पर भविष्य में किसी प्रकार का संकट न आए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीमा व्यवसाय में निहित जोखिम बैंक को अंतरित नहीं होता है और उक्त व्यवसाय से उठने वाले जोखिमों का बैंकिंग व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बैंक और बीमा व्यवसाय के बीच 'उचित दूरी' वाले संबंध होने चाहिए।

टिप्पणी:

1. किसी भी प्रायोजक बैंक द्वारा बीमा कंपनी में ईक्विटी-धारिता या बीमा व्यवसाय में किसी भी रूप में सहभागिता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन के अधीन होगी। इस अनुपालन में बीमा अधिनियम आइआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित की धारा 6 एए का अनुपालन भी उसमें शामिल है जो निर्धारित समय के भीतर प्रदत्त पूंजी के 26 प्रतिशत अधिक ईक्विटी पूंजी के विनिवेश से संबंधित है।
2. पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए अद्यतन लेखा-परीक्षित तुलनपत्र को ध्यान में रखा जाएगा।
3. जो बैंक उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5 के अंतर्गत निवेश करते हैं और बाद में बीमा व्यवसाय में जोखिम सहभागिता के लिए पात्रता हासिल करते हैं (दिशानिर्देशों के पैरा 2 के अनुसार) वे जोखिम-सहभागिता के आधार पर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अनुमति हेतु रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं।

बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश - बीमा एजेंसी व्यवसाय / परामर्शी व्यवस्था

बैंक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, बिना किसी जोखिम-सहभागिता के बीमा एजेंसी व्यवसाय अथवा परामर्शी व्यवस्था प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है:

(i) बैंकों को 'समिश्र कंपनी एजेंट' के रूप में कार्य करने अथवा बीमा कंपनी के साथ परामर्शी व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए बीमा विनियम और विकास प्राधिकारी (आइआरडीए) के विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

(ii) बैंक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों के संबंध में केवल विशिष्ट कंपनी की ही सेवाएं प्राप्त करने के लिए ग्राहकों पर दबाव डालने की किसी प्रकार की प्रतिबंधात्मक पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। ग्राहक को अपनी पसंद को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(iii) बैंक यदि परामर्शी व्यवस्था प्रारंभ करने के इच्छुक हों तो उन्हें चाहिए कि आइआरडीए के विनियमों का पालन करने के अलावा संबंधित बीमा कंपनी के साथ परिसर और बैंक की विद्यमान आधारभूत संरचना का उपयोग करने की अनुमति के लिए करार करें। इस प्रकार का करार प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए। बैंक के पास यह विवेकाधिकार होना चाहिए कि सेवा की संतोषप्रद स्थिति को देखते हुए शर्तों को पुनर्निर्धारित करें या प्रारंभिक अवधि के बाद पुराने करार के स्थान पर दूसरा करार करे। इसके बाद निजी बैंक के मामले में उसके अपने निदेशक बोर्ड से तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक के मामले में भारत सरकार से अनुमोदन लेकर बैंक अधिक अवधि के लिए संविदा कर सकता है।

(iv) चूंकि बीमा उत्पाद में बैंक के ग्राहक की सहभागिता पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर होती है, इसलिए बैंक द्वारा वितरित की जाने वाली सभी प्रचार सामग्री में प्रमुखता से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रस्तावित बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान और बीमा उत्पाद के उपयोग के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार की 'संबद्धता' नहीं होनी चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी/परामर्शी अनुबंध में यदि कोई जोखिम निहित है तो उसे बैंक के व्यवसाय में अंतरित नहीं करना चाहिए।

बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश

1. व्याप्ति

ये दिशानिर्देश निम्नलिखित में से सभी या कोई भी एक कार्य करनेवाले स्मार्ट कार्डों/कार्डों पर लागू होते हैं:

- कार्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जिसके विशेष रूप से वहां जहां बिक्री स्थानों और कुछ ऐसे स्थानों पर कार्ड के उपयोग/एक्सेस के लिए टर्मिनल/उपकरण लगे हों।
- बैंक नोटों का आहरण, बैंक नोट और चेक जमा करना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबद्ध परिचालन जैसे नकद भुगतान मशीनें और ए टी एम।
- ऐसा कोई भी कार्ड या कार्ड का कार्य, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में वास्तविक मूल्य निहित है, जिसका किसी ने अग्रिम भुगतान किया है, जिसमें से कुछ राशि अतिरिक्त निधियों से फिर से संचित की जा सकती है या ऐसा कार्ड जो कार्डधारी के बैंक खाते से भुगतान के लिए जोड़ा जा सकता है (ऑन लाइन) और जो अनेक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

2. नकद आहरण

बैंकारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वाधिकार प्राप्त किए बिना स्मार्ट/डेबिट कार्ड से किसी भी सुविधा के अंतर्गत किसी प्रकार का नकद लेनदेन अर्थात् नकदी आहरण या जमाराशियां, बिक्री के स्थान पर प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए।

3. ग्राहकों की पात्रता

दिनांक 21 जून 1999 के परिपत्र सं. डीबीएस. एफजीवी. बीसी. 56/23.04.001/98-99 के परिपत्र के अनुसार प्रेषित बड़ी राशि की बैंक धोखाधड़ियों के संबंध में अध्ययन दल की रिपोर्ट के पैरा 9.2 में यथा उल्लिखित 'अपने ग्राहक को जानिए' की संकल्पना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले बैंक में छह महीने से कम अवधि के लिए खाता रखने के बावजूद कुछ चुनिंदा खाताधारकों को, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, बैंक स्मार्ट कार्ड (ऑन लाइन और ऑफ लाइन)/ऑन लाइन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तथापि, जो बैंक डेबिट कार्डों के परिचालनों के लिए ऑफ लाइन मोड प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें कम-से-कम छह महीने की अवधि के लिए खातों को संतोषजनक ढंग से बनाए रखने की शर्त का पालन करना होगा। बैंक उन व्यक्तियों और निगमित निकायों और फर्मों को भी स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड सुविधा दे सकता है जो निहित चलनिधि विशेषताओं के साथ बचत बैंक खाता/चालू खाता/सावधि जमा खाता रखते हैं। स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड सुविधा नकद साख/ऋण धारकों को नहीं

देनी चाहिए। तथापि, जहाँ चेकों द्वारा परिचालन की अनुमति है वहाँ बैंक व्यक्तिगत ऋण खातों पर ऑन लाइन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं।

4. देयता - प्रक्रिया

स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्डों में संचित बकाया राशियां / खर्च न की गई शेष राशियां की आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए गणना की जाएगी। रिपोर्टिंग की तारीख को बैंक की बहियों में दर्शाई गई शेष राशियों के आधार पर स्थिति की गणना की जाएगी।

5. ब्याज का भुगतान

जिस स्मार्ट कार्ड में मूल्य संचित है उसके मामले में (जैसे कि स्मार्ट कार्ड के ऑफ लाइन मोड में होने वाले परिचालनों के मामले में होता है) स्मार्ट कार्ड में अंतरित शेष राशियों पर ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा। डेबिट कार्डों अथवा ऑन लाइन स्मार्ट कार्डों के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए ब्याज दर निदेशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

6. सुरक्षा और अन्य पहलू

(क) बैंक स्मार्ट कार्ड की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करेगा। स्मार्ट कार्ड की सुरक्षा बैंक की जिम्मेदारी है और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने, सुरक्षा तंत्र विफल हो जाने के कारण पार्टी द्वारा उठाये जाने वाले नुकसान को बैंक वहन करेगा।

(ख) भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग से कार्ड की गैर-मौजूदगी वाले ऑन-लाइन लेनदेनों से संबंधित सुरक्षा मामले और जोखिम कम करने के उपायों पर जारी 18 फरवरी 2009 के परिपत्र आरबीआइ/डीपीएसएस सं. 1501/02.14.003/2008-09 में निहित अनुदेशों तथा उनमें किये गये संशोधनों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निम्नलिखित प्रणालियां स्थापित करें:

- i. 1 फरवरी 2011 से आइवीआर लेनदेन सहित सभी ऑन-लाइन कार्ड अप्रस्तुत लेनदेनों के मामले में कार्ड पर दिखाई न देने वाली सूचनाओं के आधार पर अतिरिक्त प्रमाणीकरण/वैधीकरण के प्रावधान की प्रणाली। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के [4 अगस्त 2011 के परिपत्र डीपीएसएस.पीडी.सीओ.सं.223/02.14.003/2011-12](#) के अनुसार 1 मई 2012 से यह व्यवस्था मेल ऑर्डर ट्रांसैक्शन ऑर्डर (एमओटीओ) लेनदेन जो कार्ड अप्रस्तुत लेनदेन के ही अंग हैं. पर लागू की गयी है।

ii. [29 मार्च 2011 के परिपत्र डीपीएसएस.पीडी.सीओ.सं 2224/02.14.003/2010-11](#)

के अनुसार 30 जून 2011 तक विभिन्न चैनलों में कार्ड के प्रयोग से संबंधित सभी 'कार्ड अप्रस्तुत' लेनदेनों के मामले में कार्डधारक को "ऑन-लाइन अलर्ट" भेजने की प्रणाली, चाहे की राशि कुछ भी हो।

(ग) कोई भी बैंक बिना मांग किए ग्राहक को कार्ड डाक से प्रेषित नहीं करेगा। डाक द्वारा कार्ड उसी स्थिति में प्रेषित किया जायेगा जब ग्राहक द्वारा पहले से धारित कार्ड को दूसरे कार्ड से बदलना हो।

(घ) बैंक आंतरिक अभिलेखों को उचित समय तक सुरक्षित रखेगा ताकि परिचालनों का पता लगाया जा सके और गलतियों को दूर किया जा सके समयातीत मामलों के लिए परिसीमन विधि को ध्यान में रखते हुए।

(ङ) लेनदेन पूरा होते ही कार्ड धारक को लेनदेन का लिखित विवरण दिया जाएगा। इस प्रकार का रिकार्ड रसीद के रूप में तुरंत दे दिया जाएगा या उचित समय बीत जाने के बाद किसी अन्य रूप में अर्थात् परंपरागत बैंक विवरण के रूप में दिया जाएगा।

(च) कार्ड खो जाने, चोरी हो जाने अथवा कार्ड की नकल बनाने के समय से लेकर बैंक को उसकी सूचना देने के समय तक जो भी नुकसान होगा उसका वहन कार्डधारक को करना होगा, परंतु कुछ ही सीमा तक उसे यह नुकसान उठाना होगा (यह कार्डधारक और बैंक के बीच पहले से हुए सहमति के अनुसार निर्धारित राशि या लेनदेन के कुछ प्रतिशत तक होगा) बशर्ते कार्डधारक की धोखाधड़ी, जानबूझकर या अत्यधिक लापरवाही के कारण यह नुकसान न हुआ हो।

(छ) प्रत्येक बैंक कार्डधारक को ऐसा साधन उपलब्ध कराएगा जिसके माध्यम से कार्डधारक किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कार्ड के खो जाने, चोरी होने, अथवा भुगतान के साधनों की नकल उतारने की सूचना बैंक को देना।

(ज) कार्डधारक से कार्ड गुम जाने, चोरी हो जाने अथवा कार्ड की नकल उतारने की सूचना मिलते ही बैंक कार्ड के और उपयोग को रोकने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा।

7. जारी करने के लिए शर्तें

बैंक और कार्डधारक के बीच स्थापित संबंध संविदात्मक होंगे। कार्डधारक और बैंक के बीच संविदात्मक संबंध होने के मामले में;

क) प्रत्येक बैंक कार्डधारक को ऐसी संविदात्मक शर्तों एवं निबंधनों का सेट उपलब्ध कराएगा जो इस प्रकार के कार्डों के निर्गम तथा उपयोग को नियंत्रित करते हैं। ये शर्तें संबंधित पार्टियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करेंगी।

ख) इन शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ग) इन शर्तों में किसी भी प्रकार का आधार निर्दिष्ट होगा, न कि किसी समय विशेष पर प्रभारों की राशि।

घ) इन शर्तों में वह समय निर्दिष्ट किया जाए जब कार्डधारक का खाता सामान्यतः डेबिट किया जाएगा।

ड) बैंक इन शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कार्डधारक को इन परिवर्तनों की पर्याप्त पहले सूचना दी जानी चाहिए ताकि वह चाहें तो इस योजना से अलग हो सके। इनमें वह अवधि भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए जिसके बीत जाने पर यह मान लिया जाएगा कि कार्डधारक ने शर्तें स्वीकार कर ली हैं।

च) (i) शर्तों के अनुसार कार्डधारक का यह दायित्व होगा कि वह कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाएं और ऐसी व्यवस्था करें (जैसे पिन या कोड) ताकि कार्ड का उपयोग हो सके।

(ii) शर्तों के अनुसार कार्डधारक का यह दायित्व होगा कि वह पिन या कोड किसी ऐसे रूप में न रखे जिससे अन्य पार्टी को सही या गलत ढंग से रेकार्ड हाथ लग जाने पर वह पिन या कोड को समझ ले या उसे मिल जाए।

(iii) शर्तों के अनुसार कार्डधारक का यह दायित्व होगा कि निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलते ही वह बैंक को तत्काल सूचित करें:

- कार्ड अथवा कार्ड को प्रयोग करने लायक बनानेवाला उपकरण खो जाना, चोरी हो जाना, या कार्ड की नकल बना लेना;
 - किसी अप्राधिकृत लेनदेन को कार्डधारक के खाते में दर्ज करना;
 - किसी खाते के रखरखाव में बैंक की ओर से हुई गलती अथवा अनियमितता।
- (iv) शर्तों में यह निर्दिष्ट होगा कि किस स्थान पर बैंक को सूचना देनी है। इस प्रकार की सूचना दिन में या रात को किसी भी समय दी जा सकती है।
- (v) शर्तों के अनुसार कार्डधारक का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्ड के माध्यम से जो आदेश उसने दिया है उसके विरुद्ध कोई दूसरा आदेश न दें।

(छ) शर्तों में यह निर्दिष्ट होगा कि यदि पिन या कोड जारी करते समय बैंक सावधानी रखेगा और बैंक का यह दायित्व होगा कि वह कार्डधारक के सिवा किसी अन्य को कार्डधारक का पिन या कोड न बताएं।

(ज) शर्तों में यह निर्दिष्ट होगा कि बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करने वाली प्रणाली ठीक से काम न करने और कार्डधारक का नुकसान होता है तो बैंक सीधे-सीधे इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। तथापि, उपकरण पर प्रदर्शित संदेश से या अन्य प्रकार से यदि कार्डधारक को इस बात का पता है कि भुगतान प्रणाली किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण काम नहीं कर रही है जिसके कारण कार्डधारक को नुकसान हुआ है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी लेनदेन को निष्पादित न करने या

दोषपूर्ण निष्पादित करने के लिए बैंक का दायित्व शर्तों पर लागू होने वाले कानून के उपबंधों के अधीन मूल राशि तथा ब्याज की हानि तक सीमित है।

8. पूर्वदत्त कार्डों के संबंध में बैंक [27 अप्रैल 2009 के परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 1873/02.14.06/2008-09](#) द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वदत्त कार्डों के संबंध में जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों को देखें।

स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने और परिचालित करने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

1. बैंक का नाम:
2. रिपोर्टिंग की अवधि:
3. कार्ड की श्रेणी और हार्डवेयर कंपोनेंट - (आइ सी चिप) अर्थात् चुंबक टेप, सी. पी. यू. मेमरी:
4. प्रयुक्त साफ्टवेयर की श्रेणी:
5. स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्रस्तावित उत्पादों के नाम:
6. संचित राशि की सीमा:
7. री-लोड करने संबंधी विशेषताएं:
8. अपनाएं गए सुरक्षा मानदंड:
9. सर्विस प्रोवाइडर: (स्वयं या अन्य)
10. निष्पादन बिंदुओं की संख्या जहाँ कार्ड को प्रयोग में लाया जा सकता है :
इन निष्पादन बिंदुओं में से
 - क. पी ओ एस टर्मिनल
 - ख. वाणिकी स्थापनाएं
 - ग. एटीएम
 - घ. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
11. जारी किए गए कार्डों की कुल संख्या:
जिनमें से -
 - क. बचत बैंक खाते पर
 - ख. चालू खाते पर
 - ग. अस्थाई खाते पर
12. रिपोर्टिंग की तारीख को स्मार्ट कार्ड में संचित कुल शेष राशि:
13. रिपोर्टिंग की तारीख को स्मार्ट कार्ड में खर्च न की गई कुल शेष राशि:
14. निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल लेनदेनों की संख्या:
15. कुल लेनदेनों की कुल राशि
16. लेनदेन निपटान व्यवस्था (पूर्ण प्रक्रिया)
 - क. क्या वह ऑन-लाइन है अथवा
 - ख. ऑफ-लाइन है।
17. निर्दिष्ट अवधि के दौरान धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हों:
 - क. धोखाधड़ियों की संख्या:
 - ख. उसमें शामिल राशि:

ग. बैंक को हुई हानि की राशि:

घ. कार्ड धारक को हुई हानि की राशि:

पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश

1. पात्रता के मानदंड0020

बैंकों को केवल अपनी सहायक संस्थाओं के माध्यम से पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम) का कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। पेंशन निधि प्रबंधन का कार्य विभागीय तौर पर नहीं किया जाएगा। बैंक पेंशन निधि प्रबंधन के लिए बनाई गई अपनी सहायक संस्थाओं को अपने नाम/संक्षेपाक्षर दे सकते हैं ताकि उनके ब्रैंड नाम तथा उससे संबद्ध लाभों का फायदा हो सके बशर्ते वे सहायक संस्थाओं के साथ समुचित दूरी का संबंध रखें। संबद्ध जोखिमों के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल शक्तिशाली तथा विश्वसनीय बैंक ही पेंशन निधि प्रबंधन के व्यवसाय में प्रवेश करते हैं पात्रता के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले (पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन का अनुपालन भी करने वाले) बैंक, पेंशन निधि प्रबंधन के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

- (i) बैंक की निवल मालियत 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।
- (ii) पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंक का सीआरएआर 11 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
- (iii) बैंक पिछले लगातार तीन वर्षों से निवल लाभ कमा रहा हो।
- (iv) परिसंपत्ति पर आय (आरओए) कम-से-कम 0.6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।
- (v) निवल अनर्जक परिसंपत्तियों का स्तर 3 प्रतिशत से कम होना चाहिए।
- (vi) बैंक की यदि कोई सहायक संस्था/संस्थाएं हो, तो उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।
- (vii) रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए और रिपोर्ट में पर्यवेक्षी बातों के संबंध में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी /टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए।

2. पेंशन निधि सहायक कंपनी -रक्षोपाय

उपर्युक्त पात्रता के मानदंडों तथा पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानदंडों को भी पूर्ण करनेवाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पेंशन निधि प्रबंधन के लिए सहायक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी:-

- (i) सहायक संस्था स्थापित करने के प्रयोजन से ईक्विटी में निवेश करने के लिए बैंक को रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। सहायक संस्था में उसकी शेयरधारिता को अंतरित करने अथवा उससे अन्यथा किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए भी रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) सहायक संस्था के निदेशक बोर्ड की संरचना व्यापक आधार पर तथा पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसार होनी चाहिए।
- (iii) मूल बैंक को अपनी सहायक संस्था के साथ "समुचित दूरी" बनाए रखनी चाहिए। बैंक तथा उसकी सहायक संस्था के बीच कोई भी लनदेन बाज़ार से संबंधित दरों पर होना चाहिए।
- (iv) सहायक संस्था में बैंक द्वारा कोई भी अतिरिक्त ईक्विटी अंशदान रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से होगा और किसी भी समय सहायक संस्था में बैंक का कुल ईक्विटी अंशदान उसकी अपनी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।
- (v) बैंक की अपनी विद्यमान सहायक संस्थाओं, प्रस्तावित पेंशन निधि सहायक संस्था तथा अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं तथा म्यूच्युअल फंडों में संविभाग निवेशों सहित भविष्य में बनी सहायक संस्थाओं में ईक्विटी अंशदान के रूप में बैंक का कुल निवेश उसकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (vi) मूल बैंक के बोर्ड को सहायक संस्था सहित संपूर्ण समूह के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित करनी चाहिए; उसमें उचित जोखिम प्रबंधन साधनों को शामिल किया जाय। बैंक के बोर्ड को उसका प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिए।
- (vii) बैंक को सहायक संस्था के परिचालनों की निगरानी करने के लिए पर्याप्त प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- (viii) सहायक संस्था को अपने आप को पेंशन निधि प्रबंधन के व्यवसाय तथा कोई अन्य व्यवसाय जो पूर्णतः प्रासंगिक तथा उससे प्रत्यक्ष संबंधित है तक सीमित रखना चाहिए।
- (ix) पेंशन निधि सहायक संस्था को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना कोई अन्य सहायक संस्था स्थापित नहीं करनी चाहिए।
- (x) सहायक संस्था को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी नई संस्था का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए जो उसकी सहायक संस्था नहीं है।

(xi) सहायक संस्था को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नियंत्रक हित अर्जित करने के उद्देश्य से कोई अन्य विद्यमान संस्था में संविभाग निवेश नहीं करना चाहिए।

(xii) बैंक को रिज़र्व बैंक को एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पहले पांच वर्ष के लिए सहायक संस्था के व्यावसायिक अनुमानों का विशेष उल्लेख किया गया हो ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सहायक संस्था पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन का अनुपालन कर सकेगी अथवा नहीं और इस प्रयोजन से अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक पर निर्भर नहीं रहेगी।

(xiii) सहायक संस्था स्थापित करने के लिए किसी बैंक को रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति पीएफआरडीए के उक्त सहायक संस्था को पेंशन निधि प्रबंधन व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(xiv) सहायक संस्था को पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन पर समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों, दिशानिर्देशों आदि, का पालन करना चाहिए।

(xv) बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक में रखे गए ग्राहकों के खातों तक सहायक संस्था की ऑन-लाइन पहुंच नहीं है।

(xvi) बैंक की प्रणालीगत अखंडता को बनाए रखने के लिए बैंक को चाहिए कि वह अपनी तथा सहायक संस्था की प्रणालियों के बीच पर्याप्त रक्षोपाय स्थापित करे।

(xvii) जहां लागू हो वहां बैंक को "वित्तीय समूह" ढांचे के अंतर्गत निर्धारित की गई रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(xviii) बैंक को चाहिए कि वह रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना संयुक्त उद्यम अथवा सहायक संस्था को कोई भी गैर-जमानती अग्रिम प्रदान नहीं करने करे।

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	आरबीआई/2011-12/297 बैंपविवि.सं.एफएसडी.बी सी.62/24.01.001/2011-12	12.12.2011	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 -- सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेश सीमा
2.	आरबीआई/2011-12/269 बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.No. 571/24.01.006/2011-12	21.11. 2011	इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक)
3.	आरबीआई/2011-12/145 डीपीएसएस.पीडी.223/02.14.003/2011-2012	04.08.2011	जिन लेनदेनों में कार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, उनसे संबंधित सुरक्षा मुद्दे और जोखिम कम करने वाले उपाय
4.	आरबीआई/2011-12/64 बैंपविवि.सं.एफएसडी.बी सी.15/24.01.001/2011-12	1.07.2011	परा बैंकिंग कार्यकलापों पर मास्टर परिपत्र
5	आरबीआई /2010-11/449 भुनिप्रवि.केंका.नीप्र.2224/02.14.003/2010-11	29.03.2011	सुरक्षा मुद्दे और जोखिम न्यूनीकरण उपाय- क्रेडिट/डेबिट कार्ड के उपयोग पर कार्डधारक को ऑनलाइन एलर्ट
6	आरबीआई /2010-11/347 भुनिप्रवि.केंका.सं..1503/02.14.003/2010-11	31.12.2010	कार्ड अप्रस्तुत लेनदेन से संबंधित सुरक्षा मुद्दे और जोखिम न्यूनीकरण उपाय
7	आरबीआई /2009-10/283 बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.67/24.01.001/2009-10	07.01.2010	तुलन-पत्र में प्रकटीकरण - बैंकएशयोरेंस कारोबार
8	आरबीआई /2009-10/225	16.11.2009	म्यूचुअल फंड/बीमा आदि उत्पादों का

	बैंपविवि.सं.एफएसडी.बी सी.60/ 24.01.001/2009-10		बैंकों द्वारा विपणन/वितरण
9	आरबीआइ /2008- 09/387 आरबीआई/डीपीएसएस.सं.1 501/02.14.003/2008- 09	18.02.2009	क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन- सुरक्षा मुद्दे और जोखिम कम करने के उपाय
10	बैंपविवि.सं.एफएसडी.बी सी.29/ 24.01.001/2009-10	06.08.2008	करेंसी फ्यूचर्स आरम्भ करना- सेबी द्वारा अनुमोदित एक्सचेंजों के ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए बैंकों को अनुमति देना
11	आरबीआइ /2006- 07/446 बैंपविवि.सं. एफएसडी. बीसी. 102/ 24.01.022/2006-07	28.06.2007	बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम)
12	आरबीआइ /2006- 07/140 आइडीएमडी.पीडीआरएस .1431/ 03.64.00/2006-2007	05.10.2006	प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय प्ररंभ करने वाले/प्रारंभ करना प्रस्तावित करनेवाले बैंकों के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश
13	आरबीआइ/ 2006- 07/104 बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. सं. 25/24.92.001/2006- 07	09.08.2006	पीडी कारोबार शुरू करनेवाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश
14	आरबीआइ/ 2005- 06/308 बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. सं. 64 /24.92.001/2005-06	27.02.2006	पीडी कारोबार शुरू करनेवाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश
15	आरबीआइ/2004/260 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100 /21.03.054/2003-	21.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य -बैंकों की ऋण जोखिम संबंधी विवेकपूर्ण सीमाएं

	04		
16	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 27/ 24.01.018/2003-2004	22.09.2003	बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश
17	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 88/ 24.01.011ए/2001-02	11.04.2002	बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड जारी करना
18	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 32/ 24.01.019/2001-02	29.09.2001	बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड जारी करना
19	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 133/ 24.01.019/2000-01	18.06.2001	बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी दिशानिर्देश
20	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 41/ 24.01.011/2000-01	30.10.2000	बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करना
21	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 16/ 24.01.018/2000-01	09.08.2000	बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश
22	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 145/ 24.01.013-2000	07.03.2000	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत
23	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 123/ 24.01.019/99-2000	12.11.1999	बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत